न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–शौकत अली व अन्य बनाम मुख्त्यार अहमद व अन्य
किस्म– दीवानी मूल नंबर–62/16, 53/16 क.न.–91/19

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए</th></tr>
<tr><td>18-09-25</td><td>वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित।

वकील वादीगण द्वारा दिनांक 11.09.2025 को पेश आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत है। वादीगण द्वारा आवश्यक दस्तावेजात पेश किए गए जिनमें खान संख्या 79 उलोडी रेंज के नामान्तरण आवेदन पत्र के संबंध में खनि अभियंता का दिनांक 05.03.2018 के पत्र की प्रमाणित प्रति, खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2073 वर्ष 2016–17 की प्रमाणित प्रति, खान संख्या 79 के नामान्तरण बाबत रूपए जमा कराने की रसीद दिनांक 05.03.2018 व 12.06.2017 की प्रमाणित प्रति, खान विभाग को नामान्तरण करने बाबत दिए गए आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2017 की प्रमाणित प्रति, आदेशिका दिनांक 14.11.2017 व 05.03.2018 की प्रमाणित प्रतियां, खनि अभियंता मकराना की विज्ञप्ति क्रमांक खअ/मक/उलोड़ी/18 की दो प्रमाणित प्रतियां है जो उक्त वाद पत्र से संबंधित है और वाद के न्याय निर्णय के लिए आवश्यक दस्तावेज है। अतः वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियो को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया।</td><td></td></tr>
</table>

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि वादीगण अधिवक्ता ने आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में दौराने बहस तर्क दिया एवं पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया तो पेश दस्तावेजातः– खान संख्या 79 उलोडी रेंज के नामान्तरण आवेदन पत्र के संबंध में खनि अभियंता का दिनांक 05.03.2018 का पत्र, खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2073 वर्ष 2016–17, खान संख्या 79 के नामान्तरण बाबत रूपए जमा कराने की रसीद दिनांक 05.03.2018 व 12.06.2017, खान विभाग को नामान्तरण करने बाबत दिए गए आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2017, आदेशिका दिनांक 14.11.2017 व 05.03.2018, खनि अभियंता मकराना की विज्ञप्ति क्रमांक खअ/मक/उलोड़ी/18 की दो प्रतियां है जो सभी प्रमाणित दस्तावेजात है एवं अधिवक्ता वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात वाद में वर्णित तथ्यो से संबंधित व सुसंगत है लेकिन वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजात को देरीना पेश किए जाने का कोई उचित कारण अंकित नही किया है अतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा पेश उक्त दस्तावेजात– खान संख्या 79 उलोडी रेंज के नामान्तरण आवेदन पत्र के संबंध में खनि अभियंता का दिनांक 05.03.2018 का पत्र, खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2073 वर्ष 2016–17, खान संख्या 79 के नामान्तरण बाबत रूपए जमा कराने की रसीद दिनांक 05.03.2018 व 12.06.2017, खान विभाग को नामान्तरण करने बाबत दिए गए आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2017, आदेशिका दिनांक 14.11.2017 व 05.03.2018, खनि अभियंता मकराना की विज्ञप्ति क्रमांक खअ/मक/उलोड़ी/18 की प्रमाणित प्रतियों को **3,000/–रूपए हर्जे** पर रिकॉर्ड पर लिये जाते है। **उक्त हर्जे की राशि Registrar General**	

Abe Choudhary
अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	LWFA, Rajasthan High Court के **SBI Bank Branch Jhalamand, Jodhpur Account No.** 41673952674 में जमा करवाने हेतु डी.डी. न्यायालय में पेश करें। उक्त राशि की डी.डी. पेश करने पर ही उक्त दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 20/9/2025 को पेश हो। Sd/- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	Sd/-